1. श्रीमति परमेश्वरी धनगर
तहसील यावल जिला जलगांव महाराष्ट्र हाल हाजिर ग्राम लोनी
तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.

R 910-III/15

..... याचिकाकर्ता / आवेदिका

विरूद्ध

1. विठ्ठल पिता किसन धनगर
2. प्रदीप पिता विठ्ठल धनगर
3. संदीप पिता विठ्ठल धनगर

तीनों निवासी ग्राम नागुलखेडा तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.

5 रु. भारत पाँच रुपये — 5 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

प्रतिवादिकाकर्तागण / अनावेदकगण

23–4–2015	आवेदक अभिभाषक श्री हेमंत मुंगी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बुरहानपुर जिला बुरहानपुर के प्रकरण कमांक 4/अ–13/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 7–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में उपलब्ध तहसीलदार के आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता को साक्ष्य हेतु अवसर देने के उपरांत भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण साक्ष्य का अवसर समाप्त किया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 27–2–15 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहने, दिनांक 11–3–15 को पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्य में व्यस्त होने से प्रवाचक द्वारा पेशी बढाई गई। आवेदक अधिवक्ता ने दस्तावेज के साथ तर्क में बताया कि आवेदिका जलगांव में निवास करती है प्रकरण बुरहानपुर में चल रहा है। दिनांक 7–4–15 को आवेदिका का स्वास्थ्य खराब होने एवं उसकी पुत्री की परीक्षा होने के कारण एक अन्तिम अवसर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार से

चाहा परन्तु उनके द्वारा आवेदक के साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया। तहसीदार के समक्ष आवेदिका द्वारा रास्ता विवाद संबंधी प्रकरण प्रस्तुत किया है जिसके निराकरण हेतु साक्ष्य अत्यावश्यक होते हैं यदि प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये तो प्रकरण व्यर्थ हो जायेगा।

2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यद्यपि आवेदिका को साक्ष्य हेतु पूर्व में अवसर दिया गया था परन्तु साक्ष्य हेतु निर्धारित तिथि 7–4–15 को आवेदिका के अस्वस्थ्य होने तथा पुत्री की परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के कारण दिनांक 7–4–15 को आवेदिका को साक्ष्य हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित होता। रास्ते के विवाद के निराकरण के लिए वादी के साक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं, अतः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह आवेदिका को उचित कास्ट के साथ साक्ष्य का एक अंतिम अवसर प्रदान कर प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य